

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली 28.07.2017

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - 27 “निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/ अनुसंधान संस्थानों, निदान केंद्रों, रोगविज्ञान प्रयोगशालाओं तथा अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोर आदि के निर्धारण” को संसद में पेश किया गया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) ने “निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/ अनुसंधान संस्थानों, निदान केंद्रों, रोगविज्ञान प्रयोगशालाओं तथा अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोर आदि के निर्धारण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा की थी। यह अध्ययन जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 के दौरान किया गया था, मई 2017 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन दिनांक 28.7.2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तावना

भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहे सेवा क्षेत्रों में से एक है और इसमें पिछले वर्षों से राजस्व तथा रोजगार के संबंध में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस निष्पादन प्रतिवेदन में ‘नोट-फॉर-प्रोफिट आधार’ पर चलने वालों सहित निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों, निदान केंद्रों, रोगविज्ञान प्रयोगशालाओं, चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोर तथा स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति व्यावसायिकों के निर्धारण को कवर किया गया था जिसमें 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारणों, अपील तथा परिशोधन मामलों को शामिल किया गया था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा हेल्थकेयर सेक्टर के लिए विशिष्ट कर प्रोत्साहन शुरू करने के पीछे उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण तथा यह

आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी कि कर अधिनियमके तहतस्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और चिकित्सा पेशेवरों के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए मौजूदा प्रणाली तथा नियंत्रण पर्याप्त हैं।अन्य उद्देश्यों की जांच की जानी थी कि क्या सभी प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को आयकर विभाग (आईटीडी) के कर दायरे में प्रभाविकता से कवर किया गया था तथा इसके प्रति आयकर विभाग द्वारा पर्याप्त प्रयास किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में लगे निर्धारितियों के कर आधार, निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों की मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण में कमियां पाई थी। सीएण्डएजी ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के निर्धारितियों द्वारा लाभ उठाए गए आयकर अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुप्रयोग में कमियां पाई थी। सीएण्डएजी द्वारा देखी गई कमियों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- क. लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रणालियों अर्थात् आयकर दाता डाटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस), नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस), प्रोजेक्ट इनसाइट तथा कर आधार का विस्तार करने के लिए बाहरी स्रोतों से संग्रहीत डाटा का विश्लेषण करने के लिए अन्य बहुमुखी साधनोंको निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कर आधार को मजबूत बनाने तथा विस्तार करने के लिए तथा स्टॉप-फाइलर्स और नॉन-फाइलर्स की पहचान करने के लिए भी प्रभावी रूप से उपयोग/क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था। यह निर्धारितियों की कर दायरे से बाहर रहने की सम्भावना का भी संकेत देता है।
- ख. आयकर विभाग ने निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में लगे निर्धारितियों को दी गई राहत के परिणाम निर्धारित करने के लिए कोई प्रभाव विश्लेषण नहीं किया है।
- ग. आयकर अधिनियम, अधिनियम के तहत छूटों का लाभ उठाने के लिए किसी अस्पताल ट्रस्ट द्वारा की जा रही धर्मार्थ गतिविधियों की सीमा का निर्धारण करने के लिए किसी परिमेय पैरामीटरों को निर्धारित नहीं करता। यह किसी

धर्मार्थ कार्य को वास्तव में किए बिना छूट लेने वाले निर्धारितियों की संभावना को बढ़ाता है।

- घ. लेखापरीक्षा ने दान की मॉनिटरिंग तथा दानप्राप्तकर्ताओं की दान प्राप्तियों की तुलना में दानदाताओं द्वारा किए गए दावों के प्रति सत्यापन में कमियाँ देखी थी। चूंकि आयकर विभाग मॉड्यूल में निर्धारण अधिकारियों द्वारा धारा 80जी प्रमाणपत्रों के वैधीकरण को समर्थ बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है जैसाकि ट्रेसिस के तहत टीडीएस प्रमाणपत्रों के मामले में किया जाता है।
- ड. लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों जहां ट्रेडिंग/वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे अपात्र निर्धारितियों को छूटों के अनुमति दी गई थी, के साथ-साथ जीवन रक्षक चिकित्सा उपस्कर के तहत वर्गीकृत वस्तुओं पर बढ़े हुए मूल्यहास की गलत अनुमति, अधिनियम की धारा 35 एडी के तहत वास्तव में पूंजीगत की अपेक्षा प्रावधानों पर कटौती की गलत अनुमति तथा गैर-अस्पताल कार्यकलापों से प्राप्त आय पर आईटी अधिनियम की धारा 80आईबी के तहत कटौती की गलत अनुमति के मामले देखे गए।

च. निर्धारण अधिकारियों ने उन मामलों का विवरण प्राप्त करना छोड़ दिया जहां नकद प्राप्त तथा भुगतान धारा 269 एसएस तथा 269 टी के उल्लंघन में किया गया था तथा वह शास्ति प्रक्रिया आरम्भ करने में भी विफल हुआ। पूंजीगत लाभ/हानि की संगणना तथा स्वीकृति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी।

छ. मरीजों को भेजने के लिए निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, डाइग्नोस्टिक सेन्टर आदि द्वारा डाक्टरों को भुगतान की गई 'रेफरल फीस' तथा चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा 'विज्ञापन खर्चों' के कारण किए भुगतानों को अनुमत किया गया, हालांकि ऐसे व्ययों को सीबीडीटी के निर्देशों तथा विनियामक निकायों के कानूनों के अनुसार अस्वीकरणीय तथा "अनैतिक" के रूप में माना गया था।

सीएजी द्वारा सिफारिशें

सीएजी ने सिफारिश की है कि सीबीडीटी पंजीकरण करने वाले निकायों/एजेंसियों को, अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल

संस्थानों का पंजीकरण करते समय पैन का उद्धरण अनिवार्य करने के लिए, अनुरोध करने पर विचार करें। सीबीडीटी अपने कर आधार का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में नॉन-फाइलर्स/स्टॉप-फाइलर्स निजी कम्पनियों तथा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायिकों की पहचान करने के लिए अपने मौजूदा तंत्र में संशोधन करने पर विचार करें। मंत्रालय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों के कर आधार को मजबूत बनाने के लिए अधिक प्रभावी रूप से सर्वेक्षण परिचालनों का उपयोग करने तथा निजी स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के राजस्वों में वृद्धि में कारक के लिए सर्वेक्षण परिचालनों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्यों के निर्धारण पर विचार करें। सीबीडीटी को आयकर अधिनियम के तहत छूट देने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में निजी अस्पताल न्यासों द्वारा किए गए धर्मार्थ कार्यकलापों के निर्धारण हेतु परिमेय पैरामीटरों को निर्धारित करने का परामर्श दिया जाता है। सीबीडीटी कतिपय अवसीमा से अधिक 80जी प्रमाणपत्रों के स्वचालित सृजन को शुरू करने की संभावना पर विचार करें। सीबीडीटी ऐसी अनैतिक प्रथाओं के प्रति अतिरिक्त निवारण के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के अंतर्गत व्याख्या के क्षेत्र में चिकित्सा व्यवसायिकों को प्रदत्त सभी प्रकार के मुफ्त उपहार और रेफरल फीस के साथ-साथ विज्ञापन तथा व्यवसाय संवर्धन व्ययों के संबंध में व्यय की अननुमति के प्रावधान शामिल करने पर विचार करें।